

सार-समाचार

डॉ. अपर्णा घोटके ने मेडिकल रेटिना नेत्र फैलोशिप पूर्ण की

कोटा, (निसं)। नासिक की नेत्र चिकित्सक डॉ. अपर्णा घोटके ने सुवि नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर, कोटा में मेडिकल रेटिना एवं यूविआइटिस फैलोशिप सफलतापूर्वक पूर्ण की। इस दौरान उन्होंने संस्थान के रेटिना एवं यूविआइटिस विशेषज्ञ डॉ. निपुण बागरेचा के मार्गदर्शन में इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी, एंटी-वोईजीएफ इंजेक्शन, रेटिनल लेजर फोटोकोगुलेशन, बैराज रेटिनल लेजर सहित कई अत्याधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। डॉ. निपुण बागरेचा ने बताया कि विगत तीन वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों से 23 नेत्र चिकित्सक मेडिकल रेटिना एवं यूविआइटिस फैलोशिप प्रशिक्षण हेतु सुवि नेत्र चिकित्सालय, कोटा आ चुके हैं, जो संस्थान की शैक्षणिक विश्वसनीयता का प्रमाण है। सुवि नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर, कोटा के निदेशक एवं वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉ. सुरेश पाण्डेय, डॉ. विदुषी शर्मा, डॉ. एस. के. गुप्ता एवं डॉ. डिम्पल भाकुनी ने बताया कि फैलोशिप के दौरान चिकित्सकों को फेफिक लेंस इम्प्लांटेशन, टोपिकल फेको मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा, प्रीमियम टोरिक एवं ट्राइफोकल लेंस इम्प्लांटेशन तथा लेसिक लेजर सर्जरी जैसी आधुनिक पद्धतियों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। डॉ. अपर्णा घोटके ने कहा कि नासिक से कोटा आकर सुवि नेत्र चिकित्सालय के अनुभवी चिकित्सकों से अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा तकनीकों को सीखकर वे अधिक से अधिक नेत्र रोगियों को दृष्टि लौटाने के लिए कार्य करेंगी। उन्होंने फैलोशिप स्वीकृति एवं मार्गदर्शन के लिए डॉ. निपुण बागरेचा के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ. सुरेश पाण्डेय ने डॉ. अपर्णा घोटके को अपनी पुस्तकों एंटरप्रेन्योरशिप फॉर डॉक्टर्स एवं एक आई सर्जन की डायरी भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भेरे अमूमन भेंट की।

महिला योग शक्ति दिवस सम्पन्न

कोटा, (निसं)। भारतीय योग संस्थान, कोटा विभाग द्वारा महिला योग शक्ति दिवस समारोह का आयोजन को समर्थ परिसर स्थित सद्भाव सभागार में हथौल्लास, गरिमा एवं अनुशासनपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोटा संभाग अध्यक्ष राजेश चत्तर ने की। इस अवसर पर संरक्षक उमेश कपूर, विमल बंसल सहित कोटा संभाग के सातों जिलों के जिला प्रधानों की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह में कोटा पूर्व से रमेश दाय्यल से को.एल. वर्मा, आदित्य शथम से अर्चना जैन, कोटा मुख्य से संतोष गुप्ता तथा इंद्रविहार से रुचि गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रही। कोटा उत्तर से सोनल नंदवाना ने बताया कि कार्यक्रम के अंगरंगत भारतीय योग संस्थान की महिला प्रशिक्षकों द्वारा ध्वनि के साथ ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, उतानपादासन, सर्पासन, सूरा मन्स्कार एवं प्राणायाम में भस्त्रिका, भ्रामरी तथा ध्यान का प्रभावशाली अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षित साधिकाओं ने अनुशासन, सौंदर्य और समर्पण के साथ योगाभ्यास प्रस्तुत कर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में लगभग 325 साधकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का कुशल संचालन नीतू शर्मा एवं अर्चना जैन ने किया। शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके पश्चात इंद्रविहार की साधिकाओं द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना नृत्य ने विशेष आकर्षण बटोरा।

कथा से पहले 51 हजार महिलाओं की भव्य कलश यात्रा निकलेगी

रामगंजमंडी, (निसं)। शहर में बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की होने वाली श्रीराम कथा एवं गौ माता महात्म्य को लेकर तैयारियां जोरों-शोरों पर चल रही हैं। 22 जनवरी को प्रस्तावित भव्य कलश यात्रा को लेकर महिला मंडल द्वारा क्षेत्र में पीले तालाब वितरित किए जा रहे हैं तथा महिलाओं को निःशुल्क कलश यात्रा कूपन देकर आमंत्रित किया जा रहा है। शुक्रवार को महिला मंडल द्वारा शहर के गायत्री मंदिर में कलश यात्रा कूपन अर्पित कर अभियान का शुभारंभ किया गया। महिलाएं ढोल-गाथाई के साथ गायत्री मंदिर पहुंचीं, जहां नाचते-गाते हुए मां गायत्री एवं भोलेनाथ को कूपन अर्पित किए गए। इसके बाद महिलाओं ने घर-घर जाकर भव्य कलश यात्रा को लेकर जनसंपर्क किया और महिलाओं को निःशुल्क कूपन रसीदें वितरित कीं। सेवादार ममता जोशी ने बताया कि 22 जनवरी को भव्य कलश यात्रा स्टेशन चौहाा स्थित बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई खैराबाद रोड के रास्ते खैराबाद धाम बालाजी मंदिर परिसर स्थित तालाब पर पहुंचेगी, जहां कलश यात्रा का समापन होगा।

बस परिचालक को धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। रोडवेज बस परिचालक को जान से मारने की धमकी देने के दर्ज मामले में सांगोद पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस प्रतिक्रिया कोटा शंकर ने बताया कि 25 दिसम्बर को फरियादी सुरेंद्र कुमार ने सांगोद थाने में लिखित प्रार्थना पत्र दिया। फरियादी ने प्रार्थना पत्र में कहा कि उदयपुर आगार की राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का परिचालक है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि फरियादी ने शिकायत में कहा कि सांगोद बस स्टैण्ड पर एक अज्ञात व्यक्ति मिला जो स्वयं को मोहन खान मोईनुद्दीन एकता बस की तरफ से बता रहा था, फरियादी ने कहा कि स्वयं को मोईनुद्दीन बताने वाले व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी देते हुए बस को नहीं लेकर आने की चेतावनी दी। ग्रामीण एसपी ने बताया कि सांगोद थानाधिकारी अनिल कुमार ने फरियादी के पेश प्रार्थना पत्र की जांच करने के बाद मामले में कार्यवाही करते हुए सांगोद निवासी मोईनुद्दीन को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

कोटा में दो दिवसीय भव्य कायस्थ महाकुंभ का आयोजन

कोटा, (निसं)। सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत और युवा पीढ़ी को जोड़ने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा कोटा, कायस्थ समाज कोटा एवं कायस्थ आर्ट एंड कल्चर कोटा के संयुक्त तत्वावधान में 27-28 दिसम्बर 2025 को एल.बी.एस. कैम्पस, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा में दो दिवसीय भव्य ‘कायस्थ महाकुंभ’ एवं निःशुल्क युवक-युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मीडिया संयोजक कुलदीप माथुर ने बताया कि इस ऐतिहासिक आयोजन में देश के कोने-कोने से ही नहीं, बल्कि अमेरिका और दुबई से भी युवक-युवतियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभी तक 1100 से अधिक प्रतिभागियों का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए और विभिन्न सरकारी-निजी क्षेत्रों में कार्यरत युवा शामिल हैं।

राजस्थान अकाउंटेट्स एसोसिएशन का जिला अधिवेशन आज

रामगंजमण्डी, (निसं)। राजस्थान एकाउंटेंट्स एसोसिएशन कोटा का जिला अधिवेशन 27 दिसंबर शनिवार को शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल श्रीनाथपुरम कोटा में आयोजित किया जाएगा। जिला अध्यक्ष मनोज जैन चरन ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे तथा संदीप शर्मा विधायक कोटा दक्षिण अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि संस्था शर्मा निदेशक कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान एवं वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज मेहता होंगे।

हर्षिता डोड को पीएचडी की उपाधि मिली
कोटा, (निसं)। हर्षिता डोड पुत्री यशवंद्र सिंह डोड एवं सुदेश आहुजा को पीएचडी की उपाधि मिली है। केरियर पाइंट विश्वविद्यालय, कोटा से हर्षिता डोड को कम्प्यूटर साईंस विभाग से 'एन एनालिसिस ऑफ द क्लाउड कम्प्यूटिंग' अर्धपू्निटिड रिस्क, चैलेंजसे एण्ड सेक्यूरिटी' विषय पर पीएचडी उपाधि प्रदान की गयी। इन्होंने अपना शोध कार्य डॉ.त्रिलोक गुप्ता के निदेशन में पूर्ण किया है। यह उपलब्धि के लिए हर्षिता को सभी ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

कोटा प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला

कोटा, (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार से कोटा-बून्दी के 7 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। सुबह 11 बजे कोटा कार्यालय पर क्षेत्रवासियों से भेंट करेंगे। दोपहर 12.30 बजे छावनी में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव में शामिल होंगे। 1 बजे श्रीनाथपुरम में राजस्थान एकाउंटेन्ट एसोसिएशन के अधिवेशन व दोपहर 2 बजे किशोरपुरा स्थित द्वितीय आरएसई बटालियन अमर निवास में बन्दे मातरम संभागीय अधिवेशन में सम्मिलित होंगे।

समपार फाटक व रेल सुरक्षा व्यवस्था का मंडल रेल प्रबंधक ने निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। यात्रियों एवं रेल परिचालन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने बूंदी स्थित नॉन-इंटरलॉकड समपार फाटक संख्या 45 का सड़क मार्ग से आकस्मिक निरीक्षण किया।

इस निरीक्षण का उद्देश्य रात्रिकालीन परिस्थितियों में समपार फाटक की वास्तविक कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था एवं सतर्कता की स्थिति का प्रत्यक्ष आंकलन करना रहा। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने रात्रिकालीन रेल पथ गश्ती कर्मचारियों

■ कर्मचारियों की कार्यकुशलता और उपकरणों की हुई जांच

से भी संवाद किया तथा उनकी कार्यकुशलता का परीक्षण करते हुए उनके पास उपलब्ध सुरक्षा एवं संचार उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता की

गुना की टीम ने फाइनल मुकाबला जीता

छबड़ा (निसं)। यहां के खेल मैदान में चल रही टेनिस बॉल क्रिकेटे प्रतियोगिता के समापन पर राहुल इलमथ गुना की टीम ने फाइनल मुकाबले में छबड़ा पैथर को शिकस्त देते हुए एक तरफा जीत दर्ज की। खेल प्रेमी राज मोहम्मद के अनुसार प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला राहुल इलेवन गुना और छबड़ा पैथर टीम के मध्य खेला गया जिसमे गुना को टीम ने 12 ओवर में 122 रन बनाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी छबड़ा पैथर टीम कुछ खास नहीं कर पाई और पूरी टीम ही महज 26 रनों पर ही समाप्त गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा वरिष्ठ नेता हिम्मत सिंह सिंघवी और थानाधिकारी राजेश खटाना द्वारा विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार 50 हजार रूपए और प्रतीक चिंह देकर सम्मानित किया। अध्यक्षता बिट्ठल बंजारा और दीपक लोधा द्वारा ने की। प्रतियोगिता में सभी व्यवस्थाएं विशाखादेवी हॉस्पिटल के डायरेक्टर त्रिलोक मीणा द्वारा की गई।

छबड़ा प्रीमियर लीग सीज़न 2 के आयोजन का निर्णय

छबड़ा (निसं)। द इनोसेंट्स क्लब सोसाइटी की बैठक शुक्रवार को

आयोजन के दिना में प्रेरित करना है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में सोसाइटी की

अगली बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आयोजन समिति, तकनीकी

समिति, अंपायर पैनल, ग्राउंड मैनेजमेंट और प्रमोशन टीम जैसी व्यवस्थाओं के

लिए जिम्मेदारियों सौंपी जाएगी, ताकि प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक सम्पन्न



कोटा मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान रेल कर्मचारियों से संवाद किया।

जांच की। इस दौरान कर्मचारियों को सतर्कता बनाए रखने, निर्धारित प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने और किसी भी असामान्य स्थिति की त्वरित

सूचना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक योगेश कुमार मित्तल, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक विनोद कुमार

मीणा, मंडल इंजीनियर (मध्य) दीपक थपलियाल, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर धर्मेन्द्र कस्तवार, सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा कोटा जंक्शन में मनाया जा रहा है शहीदी सप्ताह

कोटा, (निसं)। सिख धर्म के गौरवमयी बलिदाना इतिहास को पन्ने में समेटने का सामर्थ्य किसी में नहीं है चाहे वह इस उपक्रम में कितने भी पुष्ट क्यों न लिख डालें, ऐसा ही एक प्रयास गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कोटा जंक्शन में हर वर्ष शहीदी सप्ताह मनाकर किया जाता है।

गुरुद्वारे के प्रधान अमरजीत सिंह मखीजा ने बताया कि इस शहीदी सप्ताह में सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी महाराज के माताजी एवं चारों साहेबजाने तथा हजारों सिंह, सिंहनी शहीद हुए थे।उनको याद करते हुए स्टेशन गुरुद्वारे पर हर साल की तरह सभी संगत मिलकर 21 से 28 दिसम्बर 2024 तक चौपाई साहिब जी के पाठ कर रहे हैं और गुरु साहिब को याद किया जा रहा है।

प्रबन्धक अमरप्रीत सिंह मखीजा ने बताया कि पूरे सप्ताह बच्चों द्वारा चौपाई साहिब के पाठ किए जा रहे हैं तथा गुरु

जी की जीवनी से सम्बन्धित कविताएँ, इतिहास लेखन और कीर्तन की प्रस्तुति दी जा रही है। इसी सम्बन्ध में दिल्ली राजौरी गार्डन गुरुद्वारे के हैड थर्थां जानी डॉ. मनप्रीत सिंह ने भी तीन दीवान की विशेष हाजरी भरी और गुरु इतिहास से संगत को अवगत कराया।

इसी सप्ताह में गुरु गोबिन्द सिंह जी के चार साहिबजाने में से बाबा अजीत सिंह (17) व बाबा ज़ुबार सिंह (13) ने सन् 1705 में अत्याचारों का विरोध करते हुए चमकौ की युद्ध में शहीदी को प्राप्त किया था। उसके बाद साहिबजाना बाबा ज़ोबार सिंह (9) व बाबा फतेहसिंह (6) को दीवार में ज़िन्दा चुनवा दिया गया था, जब यह शाहदत की खबर टण्डे बुर्ज में कैद दादी गुजरी कौर के पास पहुंची तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए।

टोडमल जैन ने नवाब से दाह संस्कार के लिए उस साईज की जमीन पर 78000 सोने की अशरफिया खड़ी की जा सके। बैठक में गोलू कारपेंटर, सलाम पठान, राजा पठान, सहाम खान, शेरा कबाड़ी, अम्बर अहमद, राजा अली व विजय सेन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे, जिनहोंने आयोजन के सफल संचालन के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। सोसाइटी प्रदर्शन ने कहा कि यह टूर्नामेंट न केवल स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करेगा बल्कि छबड़ा क्षेत्र का नाम भी खेल जगत में और आगे ले जाएगा।

कर उसकी कीमत चुकाई। कहते है संसार की सबसे महंगी जमीन खरीदी गई जहां साहिबजानों और माता गुजरकौर का अंतिम संस्कार हुआ। वहां पर आज ऐतिहासिक गुरुद्वारा ज्योति स्वरुप साहिब स्थापित है। प्रबन्धक अमरप्रीत सिंह मखीजा ने बताया कि इस पूरे शहीदी सप्ताह के दौरान बच्चों को रोज के इतिहास से सम्बन्धित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराई जा रही है और नित्य रोज बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए उत्तम प्रश्नकृत किया जाएगा। इस पूरे शहीदी सप्ताह के दौरान गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के प्रधान अमरजीत सिंह मखीजा, मीत प्रधान राजेन्द्र सिंह बग्गा एवं कमेटी के सभी सदस्यों तथा अथाह संगत के अलावा अन्य समाज के लोगों द्वारा हाजिरी भर गुरु साहिब एवं उनके गुरुद्वारा की शहीदी को नमन कर उन्हें याद किया जा रहा है।

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग

कोटा, (निसं)। राज्यस्थान नर्सस भर्ती संघर्ष समिति के बैनर तले सिंव्दिा एवं निविदा पर कार्यरत नर्सिंग ऑफिसरों ने भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर कोटा मेडिकल कॉलेज में काली पट्टी बांधकर शक्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन के प्रदेश सह-संयोजक सुरेन्द्र गुर्जर ने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर और एग्जामर लंबे समय से अल्प वेतन पर सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद इसके अब तक स्थायी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 पदों तथा एग्जामर के 4,000 पदों की भर्ती विज्ञप्ति शीघ्र जारी की जाए और इसमें मैरिट बोनस का प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण सिंव्दिा एवं निविदा पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ का भविष्य असुरक्षित बना हुआ है। यदि भर्ती विज्ञप्ति समय पर जारी होती है, तो वर्षों से सेवा दे रहे नर्सिंग ऑफिसरों को नियमित होने का अवसर मिलेगा। इस विरोध प्रदर्शन में मुकुट, अमित, चेतन, राजेश, मनोज, नैना, ममता, मनीष, नम्रता, लोकेश, नरेंद्र, चोपला, रोहित, रामावतार, मंडूराम सहित कई नर्सिंग ऑफिसर शामिल रहे।

केन्द्र व राज्य सरकार के विरोध में अरावली बचाओ जन-आंदोलन के तहत रैली निकाली

कोटा, (निसं)। पीसीसी के निर्देश पर भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अरावली पर्वतमाला में खनन पट्टे देने के विरोध में शहर कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम एवं देहात अध्यक्ष भानुप्राप का अगुवाई में कांग्रेसजन जागरण रैली निकाली गई।

इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि केंद्र में बेटी मोदी सरकार का राज्य सरकार मिलकर षड्यंत्र के तहत अरावली क्षेत्र व कांग्रेस की योजनाओं को खत्म कर रही है उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला जो ना सिर्फ राजस्थान की ऐतिहासिक धरोवर है बल्कि जीवन रेखा है।

षड्यंत्रपूर्वक अरावली पर्वत माला को खनन माफियाओं के हवाले कर खनन पट्टे आवंटित कर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है एवं मनरेगा को निरस्त करने लिए विधेयक पेश करना चाहती है।

गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री नरह राजस्थान से आते है वह राजस्थान की हरियाली को बचा नहीं सकते तो देश का पर्यावरण कैसे सुरक्षित बचेगा उनको नैतिकता के



कोटा में कांग्रेस के द्वारा रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया गया।

आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार जनविरोधी नीति के तहत कार्य कर रही है इन्हें अपने कृत्य पर विरोध का सामना करना पड़ेगा कांग्रेसजन पीछे नहीं हटेंगे। देहात अध्यक्ष भानुप्राप सिंह ने कहा कि भाजपा की केंद्र व राज्य

सरकार मिलकर साजिश के तहत अरावली पर्वतमाला को भूमाफियाओं को खनन पट्टे देकर पर्यावरण के क्षेत्र को खत्म करना चाहते है हम सब मिलकर इनके मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे सड़कों पर उतरना पड़े पीछे नहीं हटेंगे। उक्त जानकारी देते हुए महासचिव

डॉ विजय सोनी ने बताया कि रैली में प्रमुख रूप से पीसीसी सचिव मंजूर, शिवराज गुंजल, निवर्तमान उपमहापौर पवन मीणा, निवर्तमान से महामंत्री राधेशंयाम वर्मा, निवर्तमान उपाध्यक्ष जगदीश ठाडा, प्रमोद त्रिपाठी, रामेश्वर सुवालका, हेमराज गौतम, अनुराग गौतम आदि मौजूद थे।

हिन्दू सम्मेलन की समिति गठित

छबड़ा (निसं)। संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलनों की रणनीति के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विस्तार से चर्चा की गई।

इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य हर घर से हिंदुओं को एकत्रित कर हिंदू एकता का परिचय देना है। सह संयोजक ऋषि माहेश्वरी के अनुसार आगामी एक फरवरी को आदर्श विश्वा मंदिर बालिका में नगर का हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में लगभग 5 हजार

लोगों के शामिल होने की संभावना जताई गई है, जिसकी रूपरेखा भी बैठक में तय की गई। बैठक में सम्मेलन आयोजन और क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया।



कार्यालय नगर परिषद बारां		
क्रमांक: नया/राजस्थ शास/2025/9123	तिनांक: 26.12.2025	
सार्वजनिक विज्ञप्ति		
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हेमराज सोन पुत्र श्री देवीलाल निवासी बारां का आवेदन नाम हस्तान्तरण चाहने वास्ते प्राप्त हुआ है। जिसमें पट्टा विलेख दिनांक 30.11.1988 सुखण्ड संख्या निज माप 1190 वर्गफीट का श्री हरीशचन्द्र पुत्र श्री देवलाल के नाम जारी किया गया था। तत्पश्चात पट्टाधारक के कायमुकाबे (मांभी बाई पत्नी हरीशचन्द्र, बृजेश कुमार, कैलाश, प्रदीप कुमार व राजेश बाई पुत्र व पुत्री गण हरीशचन्द्र) द्वारा जयें नोटेरीयुशा पारिवारीक सम्पत्ति बटवांरा स्टाम्प दिनांक 26.09.2015 से उक्त माप में से 107.05 वर्गगज को श्री हेमराज सोन पुत्र श्री देवीलाल के नाम हो गया। आवेदक द्वारा इसी आधार पर नामान्तरण चाहा है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में अन्य किसी को आपत्ति हो तो अन्तर 7 दिवस में आपत्ति मय दस्तावेजों के साथ कार्यालय हजा में प्रस्तुत करें। बाद अतः होखल गुजर जाने पश्चात आपत्ति मयाने नही होगी।		

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-2792 तिनांक 26.12.25 जाहिर आम सूचना

आवास संख्या 2-६2 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री विनोद प्रकाश गोयल पुत्र श्री शांति शरण को किया गया था। इस आवास का पंजीजन श्री विनोद प्रकाश गोयल पुत्र श्री शांति शरण द्वारा दिनांक 22.01.1994 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री विनोद प्रकाश गोयल पुत्र श्री शांति शरण की मृत्यु दिनांक 03.03.2024 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती सविता गोयल की मृत्यु दिनांक 28.03.2025 को हो चुकी है। श्री विनोद प्रकाश गोयल पुत्र श्री शांति शरण द्वारा इस आवास को वसीयत अपनो जीवनकाल में जरिरे वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 05.12.2022 को इनके पुत्रों श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल के पक्ष में संयुक्त रूप से आलेखित की गई। श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-६2 विज्ञान नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर संयुक्त रूप से करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-६2 विज्ञान नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया। अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत के आधार पर श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास एवं श्री विनोद प्रकाश गोयल के नाम संयुक्त रूप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री विकास गोयल, श्री विवेक गोयल एवं श्री अनुराग गोयल पुत्रास द्वारा इस कार्यालय में प्रेषितवन प्रस्तुत कर आवास संख्या 10/57 स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं वसीयत के आधार पर करने हेतु आवेदन किया